

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांक:- 1912/12-1 : दिनांक: पौड़ी, जनवरी 29, 2019

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बैजरो (मुख्यालय-सतपुली), पौड़ी गढ़वाल।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भण्डेली बँड थलीसैण से जखोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-एफ.पी. /यू.के./रोड़/10146/2015)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून की पत्र सं0-2031/FP/UK/ROAD/10146/2015 दिनांक 24.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0-08बी/यू.सी.पी./06/263/2015/एफ.सी./2080, दिनांक 07.01.2019 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0-क-972/3-5-2, दिनांक 21.11.2017 के क्रम में निर्धारित दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि	-	4.75X 2=9.50 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	-	₹ 2,78,665.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	-	9.50X 2,78,665 = 26,47,317.50
		या ₹ 26,47,317.00

(₹ छब्बीस लाख सैंतालिस हजार तीन सौ सत्रह) मात्र

2- एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.3
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	-	₹ 6,57,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	4.75 है0
एन0पी0वी0 की धनराशि	-	4.75 X 6,57,000.00
		= ₹ 31,20,750.00

(₹ इकतीस लाख बीस हजार सात सौ पचास) मात्र

(2)

अतः उपरोक्तानुसार मदवार धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह रावत, भा0व0से0)

उप वन संरक्षक,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 1912/12-1 दिनांकित।

1-प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

3-प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।



(लक्ष्मण सिंह रावत, भा0व0से0)

उप वन संरक्षक,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।